समाहरणालय, अरवल।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
23.02.2016	**न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल** शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0 – 145/डी0एम0/2015 <u>आदेश</u> **मो0 फैयाज अहमद**, पे0–मो0 मोजफ्फर इमाम, सा0+पो0–पिंजरावाँ, थाना–कुर्था, जिला–अरवल द्वारा एक **एन0पी0 बोर राईफल** की अनुज्ञप्ति हेतु **वर्ष 2015** में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 23.02.2016 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि को आवेदक उपस्थित हुआ तथा उनका पक्ष सुना गया साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के वक्त आवेदक स्वयं उपस्थित होकर बताया कि वे कृषि एवं व्यवसाय का कार्य करते हैं। पिंजरावाँ एवं फतुहा में इनका राईस मिल है। इनका कुल आय 9,85,000/– रूपये सलाना है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पूछने पर कि क्या आपके साथ कभी किसी प्रकार की अपराधिक घटना घटी है अथवा धमकी दिया गया है तथा उन्हें किस प्रकार की खतरा है। इनके द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। आवेदक द्वारा मात्र यह बताया गया कि वे व्यवसायी होने के कारण उन्हें आशंका बनी रहती है क्योंकि नकदी कारोबार करना पड़ता है। **इसी क्रम में आवेदक द्वारा बताया गया कि वे एन0पी0 बोर पिस्टल की भी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया है तथा जॉचोपरान्त इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। साथ ही यह भी बताया गया कि एन0पी0 बोर रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आज की तिथि ही निर्धारित है।** अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बताया गया कि एक साथ दो अनुज्ञप्ति हेतु सुनवाई करना नियमानुकुल नहीं है। तदुपरान्त आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया कि तत्काल उन्हें एन0पी0 बोर रिवाल्वर/पिस्टल की आदेवन पर विचार किया जाय तथा राईफल के अनुज्ञप्ति संबंधी आवेदन को रद्द कर दिया जाय। **आवेदक द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में** शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री **रंजन कुमार**, पे0–श्री विजय कुमार शर्मा, सा0–लारी, थाना–कुर्था, जिला–अरवल के आवेदित एक **एन0पी0 बोर राईफल** की अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को ***अस्वीकृत*** किया जाता है। *वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।* लेखापित एवं संशोधित 23/2/16 जिला दंडाधिकारी, अरवल 23/2/16 जिला दण्डाधिकारी, अरवल	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ